उत्पादन में कितनी कमी हुई और कोयले के बिक्री मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भारत कोकिंग कोल लि0, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 के पास कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं कि वे अपनी खानों की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बिजली का कुछ उत्पादन स्वयं करें। भारत कोकिंग कोल लि0 में डीजल से चलने वाले बिजली पैदा करने के कुछ सेट् लगाए जा चुके हैं और कुछ लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 ने भी एक ऐसा सेट् लगाया है तथा छः और सेट् खरीदने के लिए आदेश दे दिया है।

(ख) अप्रैल, 1978 से जनवरी, 1978 के बीच बिजली की सप्लाई में रुकावट के कारण उपर्युक्त तीन कम्पनियों में लगभग 2.6 मि.0 टन कम उत्पादन हुआ जो कि इसी अवधि में इन कम्पनियों के मूल उत्पादन लक्ष्य का लगभग 4.2 प्रतिशत है। अतः रेलों और बिजलीघरों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को उत्पादन की इस कमी जितना ही कोयला कम सप्लाई किया गया।

(ग) अप्रैल, 1978 से जनवरी, 1979 के बीच, 81.46 मि0 टन कोयले का उत्पादन हुआ जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 80.69 मि0 टन कोयले का उत्पादन हुआ था। बिजली की कमी के कारण अप्रैल–जनवरी, 1979 की अवधि में उत्पादन की कमी, पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई उत्पादन में कमी से लगभग 8 लाख टन अधिक थी।

बिजली की कमी के कारण उत्पादन में जो कमी हुई है, उसका कोयले क बिक्री मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि यह मूल्य जुलाई, 1975 के बाद बदला नहीं गया है।

बिहार में तापीय बिजलीघर

1099. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार में एक तापीय बिजलीघर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर ही है जिससे उस राज्य में बिजली की कमी को दूर किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : (क) और (ख). बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र में ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है। तथापि कहल गांव में 3000 मे0 वा0 के प्रतिष्ठापन वाले एक बृहदाकार ताप विद्युत् केन्द्र की स्थापना के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने एक परियोजना व्यावहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को भेजी है। तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए आवश्यक अनेक तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने स्पष्टीकरण मांगे हैं। परियोजना की स्वीकृति साधनों और अन्य संगत बातों के सुनिश्चित होने पर निर्भर है।

Action against Companies for giving Advertisements to A.I.C.C. Souvenirs

1100. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any action has been taken against those Companies who gave advertisements in the various Souvenirs published by A.I.C.C. during the emergency period; and

(b) if so, the details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) Since the Investigation is being conducted by C.B.I. in this regard has not been completed, no action has yet been taken.

(b) Does not arise.

Import of Raw Materials by IDPL and C.P.C.

1101. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) canalised raw materials imported by I.D.P.L. and C.P.C. during last three years, quantity, value, sales value and how far the prices were loaded in each case;

(b) what are the surpluses item-wise and what were the losses year-wise; and

(c) under what provisions, loading and unloading of prices has been resorted to and whether restriction could be applied with retrospective effect and recovery made from IDPL/CPC?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) A statement giving the quantity and value of imports of canalised bulk drugs effected by the state Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Ltd., (CPC) during 1975-76, 1976-77 and 1977-78 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3881/79]. Canalised bulk drugs distributed by Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL) are also imported by CPC and are transferred on high sea sales basis to IDPL for distribution.

It is not possible to indicate the extent of loading, if any, for individual items of canalised bulk drugs, since accounts are not maintained drugwise by the canalising agencies.

(b) As indicated above, analising agencies do not maintain drugwise accounts and as such, it is not possible to indicate the itemwise surpluses/losses. The overall surpluses for the CPC in respect of canalised bulk drugs for the year 1977-78 is under investigation in consultation with the BICP. For the earlier years, the over-recoveries/under-recoveries have been adjusted in the subsequent years through price adjustments.

As regards I.D.P.L., Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) have worked out the surplus for the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77. IDPL have, however, expressed reservations in this regard which are under examination. The overall surpluses for the year 1977-78 are being finalised in consultation with the BICP.

(c) In regard to indigenous bulk drugs, Government can fix the prices of essential bulk drugs under para 4 and approved revision of declared prices of other bulk drugs under para 5 of drugs (Prices Control) Order, 1970. In regard to imported bulk drugs, Government can fix the selling prices thereof under paragraph 5 (IA) of the Drugs (Prices Control) Order, 1970. The adjustment of the prices of canalised bulk drugs to take care of.

(i) variations in the c.i.f. price which occur during the course of a year or (ii) other economic factors, a process which has been referred to as loading/unloading, has been resorted to, which is not in consistence with the provisions of Drugs (Prices Control) Order, 1970.

राजस्थान के लिये बम्बई हाई की गैस का कोटा निर्धारित किया जाना

1102. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान का अधिकाधिक क्षेत्र बम्बई हाई से मथुरा तेल शोधक कारखाने तक खनिज तेल तथा गैस के परिवहन कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है;

(ख) क्या बम्बई हाई तथा अन्य स्थानों से राजस्थान के लिये गैस का कोटा प्राय: नगण्य है, यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और राज्य के लिये कितना कोटा रखा गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान के लिये कोटे में अधिकाधिक वृद्धि करने का है, और यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सलाया और मथुरा के बीच 1078 किलो मीटर की प्रशोधित तेल पाइप लाइन की कुल लम्बाई में से, लगभग 623 किलो मीटर राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है ।

(ख) और (ग). क्योंकि अपतटीय गैस के भण्डार राष्ट्रीय स्रोत हैं, उन का समउपयोजन संपूर्ण राष्ट्रीय विचार-धाराओं और देश की अर्थ व्यवस्था के हित में उन के अधिकतम उपयोग पर निर्धारित किया जायेगा । अत: राज्यवार आधार पर कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है ।